



कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- apccf-campa@gov.in, Phone No. 0651-2481466 (O)

पत्रांक : 19M(02)CAMP(2021-22)- 388

दिनांक : 28.09.2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो/धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह/रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़/देवघर वन प्रमण्डल, देवघर/गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा/चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग/कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा/चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा/जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर/कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा/सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला/सारण्डा वन प्रमण्डल, सारण्डा/गुमला वन प्रमण्डल, गुमला/खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी/राँची वन प्रमण्डल, राँची

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "प्रतिकरात्मक वनरोपण" योजना के अंतर्गत विभिन्न अग्रिम कार्यों के संपादन हेतु कुल ₹0 3962.54010 लाख (उनचालिस करोड़ बासठ लाख चौवन हजार दस रुपये) मात्र का उप-आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

1. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - 04/कैम्पा-03/2021 - 08/स्वी0 व0प0 राँची, दिनांक 13.09.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या - 04/कैम्पा-03/2021 - 26/आ0 व0प0 राँची, दिनांक 16.09.2021
2. इस कार्यालय का पत्रांक 185 दिनांक 13.05.2021, पत्रांक 186 दिनांक 13.05.2021 एवं झापांक 356 दिनांक 14.09.2021

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 04-वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास, लघु शीर्ष- 103-राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण, उप शीर्ष- 02-"प्रतिकरात्मक वनरोपण" के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न अग्रिम कार्यों के संपादन हेतु अनुमान्य देय राशि उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत राशि में से कुल ₹0 3962.54010 लाख (उनचालिस करोड़ बासठ लाख चौवन हजार दस रुपये) मात्र का उप-आवंटन निम्नलिखित इकाइयों में किया जाता है:-

क्र0 सं0	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
1	मजदूरी	19S24060410302010103	2086.12147
2	आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060410302010323	1876.41863
	कुल :-		3962.54010

1. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी/उप निदेशक होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप-कोषागार से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उप-आवंटन का सारांश अनुलग्नक-2 एवं ऑन लाईन उप-आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।
2. इस योजना के उपरोक्त कोड संख्या को कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।
3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम में लगाये गये शर्तों के अनुरूप ही सभी कार्यों का सम्पादन किया जाय।
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कैम्पा वार्षिक कार्य योजना में अग्रिम कार्य के लिए स्वीकृत स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाय।

[Signature] 28/9/2021

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वन संरक्षण अधिनियम में वन भूमि के अपयोजन के क्रम में क्षतिपूरक वनरोपण/दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण हेतु भारत सरकार को भेजे गये स्थल प्रस्ताव में परिवर्तन नहीं करेंगे। यह भारत सरकार की अनुमति के पश्चात् ही संभव है। (इस कार्यालय का पत्रांक 274 दिनांक 26.07.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय)
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस कार्य के लिए राशि उप-आवंटित की जा रही है, उसकी राशि पूर्व में ad-hoc CAMPA account में जमा कर दी गई है। स्थानीय बैंक में रखी गई राशि के विरुद्ध किसी भी कार्य को कैम्पा वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित नहीं किया जाय।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना का कार्यान्वयन स्थल विशिष्ट स्वीकृत प्राक्कलन तथा सक्षम स्तर से प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जाएगा। यह प्राक्कलन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत योजनावार विभागीय कार्य दर के अनुसार प्राक्कलित राशि के अनुरूप होगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के किसी योजना के प्राक्कलन से किसी item को निकाल कर अलग योजना का नाम स्वयं नहीं देंगे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत किसी दो योजनाओं के प्राक्कलन से किसी item को निकाल कर अलग प्राक्कलन का निर्माण स्वयं नहीं करेंगे।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा एवं निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हों।
9. अगर संलग्न विवरणी में किसी भी वन प्रमण्डल के पक्ष में प्रदर्शित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य में कोई विसंगति पायी जाती है, तो कृपया इसे अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में तुरंत लाया जाय ताकि उसका इस वित्तीय वर्ष में निराकरण किया जा सके।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत कार्य नियोजना/वन्यजीव प्रबंधन योजना के अनुरूप सम्पादित कराया जायेगा।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित परियोजना के शर्तीय अनुपालन के तहत वन भूमि पर सम्पादित कराये जानेवाले कार्यों का क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर गठित स्थल चयन समिति से अनुमोदन प्राप्त कर कार्य सम्पादित कराया जाय।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्षतिपूरक वनरोपण/ दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण/शर्तीय अनुपालन के तहत कराये जाने वाले अन्य कार्यों का भी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर गठित स्थल चयन समिति से उपयुक्तता तथा FC Act के diversion के समय भारत सरकार द्वारा लगाये गये शर्तों के परिपेक्ष्य में उपयुक्तता का ध्यान में रखते हुए कार्य सम्पादन कराया जाय।
13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 तक के कैम्पा वार्षिक कार्य योजना से सम्पादित कराये गये सभी कार्यों से संबंधित सूचनाओं को e-green watch portal पर upload करने के पश्चात् ही राशि की निकासी/व्यय किया जाय।
14. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कैम्पा वार्षिक कार्य योजना 2021-22 के अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है -

- (i) Utilization of State Compensatory Afforestation Fund (CAF) shall be done in such a manner that at least 80 per cent in used for afforestation forest development and wildlife habitat improvement and maximum 20 per cent be used for infrastructure/capacity building related items.
- (ii) The State Authorities shall ensure that uploading of the correct KML files and geo-coordinates of afforestation and major undertaken during the year 2020-21 along with their photographs (before plantation and after plantation, and thereafter annually) has been completed,
- (iii) All concerned officers shall also ensure that there is no overlapping of activities/funding with other schemes and may provide a certificate to that effect.

 28/9/2021

- (iv) Local species, especially fruit and fodder species, has to be given preference in afforestation/regeneration to be carried out; monoculture should not be undertaken, and planting of exotic species shall be avoided.
- (v) Soil and moisture conservation work shall be carried out in an integrated manner under watershed approach from "ridge to valley" only in degraded forests. This shall focus on assisted natural regeneration and supplemented by artificial seeding with quantifiable monitoring parameters. Construction of dams, stop dams and ponds and their deepening are to be taken up only if they are a part of an integrated soil and moisture conservation plan of the catchment area. Since this component (SWC for regeneration of forests) is a very large work, the efficacy of the design and the activities shall be concurrently monitored by a reputed independent agency. Actions will be, accordingly, taken during the lifetime of each project. The overall impact on improved forest regeneration shall be shared with NAEB (MoEF&CC) on an annual basis.

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जानेवाली कैम्पा वार्षिक कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - 04/कैम्पा-03/2021-08/स्वी0 व0प0 दिनांक 13.09.2021 में अधिरोपित सभी शर्तों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जो निम्नवत है :-

15. (I) स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।
- (II) राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप-कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम - 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
- (III) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।
16. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची होंगे।
17. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेंसी का मार्गदर्शन करना सुनिश्चित करेंगे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा नियंत्री पदाधिकारी को सहयोग करेंगे एवं निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे-
- (II) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।
- (III) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेखा प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।
- (IV) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड कराना सुनिश्चित करेंगे। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।
- (V) भारत सरकार को आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।
- (VI) ऐसी कार्यान्वयन एजेंसी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा निर्गत करें। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।
- (VII) वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृत योजना की प्रारंभिक प्रवृष्टि सभी बाउण्ड्री आधारित पॉलीगन पर किया जाय। तदनुसार राशि विमुक्त की जाय।
18. Monitoring: विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी:-

 28/9/2021

- (क) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।
- (ख) विभागीय स्थापित monitoring के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।
19. (I) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।
- (III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
- (IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करेंगे।
- (V) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा द्वारा सूचित किया गया है कि योजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त है।
- (VI) योजना का संक्षिप्त ब्यौरा e-green watch पर नियमित रूप से updated किया जायेगा तथा इसकी समीक्षा की जायेगी।
- (VII) सभी भुगतान यथासंभव DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (VIII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मस्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके।
- (IX) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।
- (X) कंडिका-IX के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO को होगा।
20. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (II) सभी यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय यथासंभव e-GEMS से किया जाय।
- (III) वैसे यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय यथासंभव e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी।
21. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।
22. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान यथासंभव मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक- 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस संबंध में कंडिका 19 (IV) एवं (VIII) संयुक्त रूप से प्रभावी रहेगी।
23. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन

 28/9/2021

संरक्षक, कैम्पा को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा के निर्देशों का पालन किया जाय।

24. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी। इस संबंध में कंडिका 19 (VII) का भी अनुपालन किया जायेगा।

25. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापाक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

26. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016 एवं प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली-2018 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

27. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

28. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

इस आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्तों तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृत्यादेश संख्या - 04/कैम्पा-03/2021-08/स्वी0 दिनांक 13.09.2021 जो इस कार्यालय के ज्ञापांक 356 दिनांक 14.09.2021 द्वारा प्रेषित है में उल्लिखित शर्तों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व उनके संबंधित वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक का होगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

आपका विश्वासी,



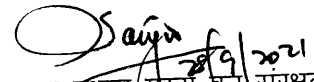
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 19M(02)CAMP(2021-22)- 388

दिनांक- 28.09.2021.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ जमशेदपुर/ बोकारो/ हजारीबाग/ दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ गुमला/ जमशेदपुर/ चाईबासा/ बोकारो/ गिरिडीह/ हजारीबाग/ चतरा/ देवघर/ दुमका/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 19M(02)CAMP(2021-22)- 388 दिनांक- 28.09.2021

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची / खूँटी / गुमला / चाईबासा / जमशेदपुर / सरायकेला-खरसावां / हजारीबाग / चतरा / कोडरमा / बोकारो / रामगढ़ / धनबाद / गिरिडीह / गोड्डा / देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।
28/09

वार्षिक कार्य योजना 2021-22 : उपशीर्ष "02-प्रतिकरात्मक वनरोपण"

(मजदूरी दर : ₹0 311.33 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	क्षतिपूरक/दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण का अग्रिम कार्य															
		ब्लॉक वृक्षारोपण															
		वन भूमि वृक्षारोपण				गैर-वन भूमि वृक्षारोपण				पी0सी0ए0				सेफटी जॉन वृक्षारोपण			
		भौतिक लक्ष्य (हे०)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	भौतिक लक्ष्य (हे०)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	भौतिक लक्ष्य (हे०)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	भौतिक लक्ष्य (हे०)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	243.143	127.17215	77.19335	204.36550	---	---	---	---	---	---	---	---	8.940	4.67593	2.92421	7.60014
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	12.860	6.72622	4.15010	10.87632	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	164.150	85.85610	52.36163	138.21773	217.500	113.75998	70.84359	184.60357	---	---	---	---	---	---	---	---
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	127.920	66.90656	40.90309	107.80965	---	---	---	---	10.000	5.23034	3.25570	8.48604	---	---	---	---
6	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	17.585	9.19766	5.62780	14.82546	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	14.380	7.52123	4.88229	12.40352	---	---	---	---	12.000	6.27641	3.88116	10.15757	---	---	---	---
8	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	431.430	225.65273	135.43379	361.08652	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	176.730	92.43587	55.78205	148.21792	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	10.000	5.23034	3.25570	8.48604	3.445	1.80185	1.33419	3.13604	---	---	---	---	2.582	1.35021	0.93573	2.28594
11	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	200.000	63.51132	49.05708	112.56840	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	408.660	213.74323	129.59722	343.34045	187.040	97.82835	60.16209	157.99044	194.760	101.86618	61.16368	163.02986	---	---	---	---

28/09

28/9/2021

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	क्षतिपूरक/दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण का अग्रिम कार्य															
		ब्लॉक वृक्षारोपण															
		वन भूमि वृक्षारोपण				गैर-वन भूमि वृक्षारोपण				पी०सी०ए०				सेफटी जॉन वृक्षारोपण			
		भौतिक लक्ष्य (हे०)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	भौतिक लक्ष्य (हे०)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	भौतिक लक्ष्य (हे०)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	भौतिक लक्ष्य (हे०)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा	30.000	15.69103	9.51025	25.20128	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	155.160	70.88012	45.72862	116.60874	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, गढ़वा	200.000	104.60688	62.80238	167.40926	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	384.330	122.65085	88.26804	210.91889	37.490	19.60856	11.98100	31.58956	---	---	---	---	---	---	---	---
17	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	51.030	26.69045	16.21534	42.90579	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची	97.330	50.90694	31.07990	81.98684	3.440	1.79924	1.20420	3.00344	---	---	---	---	---	---	---	---
	सकल योग	2,724.708	1295.37968	811.84863	2107.22831	448.915	234.79798	145.52507	380.32305	216.760	113.37293	68.30054	181.67347	11.522	6.02614	3.85994	9.88608

Sangro
28/9/2021

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	क्षतिपूरक/दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण का अग्रिम कार्य													
		ब्लॉक वृक्षारोपण					रेखिक वृक्षारोपण								
		सेफटी जॉन वृक्षारोपण					लम्बाई (कि०मी०)				लम्बाई (इकाई)				
		भौतिक लक्ष्य (कि०मी०)	इकाई	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	भौतिक लक्ष्य (कि०मी०)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	भौतिक लक्ष्य (कि०मी०)	इकाई	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	9.576	36.000	21.33319	24.19740	45.53059	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	1.059	12.480	7.39551	8.38843	15.78394	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	6.000	60.000	30.23139	35.82632	66.05771	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	---	---	---	---	---	37.000	142.68845	512.03876	654.72721	13.678	119.500	70.81434	80.32193	151.13627
10	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	---	---	---	---	---	---	---	---	---	27.552	240.890	142.74867	161.91421	304.66288

Signature
28/9/2021

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	क्षतिपूरक/दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण का अग्रिम कार्य													
		ब्लॉक वृक्षारोपण					शैखिक वृक्षारोपण								
		सेफटी जॉन वृक्षारोपण					लम्बाई (कि०मी०)				लम्बाई (इकाई)				
		भौतिक लक्ष्य (कि०मी०)	इकाई	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	भौतिक लक्ष्य (कि०मी०)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	भौतिक लक्ष्य (कि०मी०)	इकाई	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
13	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, गढ़वा	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	सकल योग	16.635	108.480	58.96009	68.41215	127.37224	37.000	142.68845	512.03876	654.72721	44.830	396.390	234.89620	266.43354	501.32974

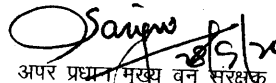
Sanyo 28/9/2021

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	सकल योग		
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
1	2	33	34	35
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	131.84808	80.11756	211.96564
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	6.72622	4.15010	10.87632
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	199.61608	123.20522	322.82130
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	21.33319	24.19740	45.53059
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	79.53241	52.54722	132.07963
6	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	9.19766	5.62780	14.82546
7	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	44.02903	44.58977	88.61880
8	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	225.65273	135.43379	361.08652
9	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	305.93866	648.14274	954.08140
10	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	8.38240	5.52562	13.90802
11	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	63.51132	49.05708	112.56840
12	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	556.18643	412.83720	969.02363

28/6/21

Samp 28/6/21

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	सकल योग		
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
1	2	33	34	35
13	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा	15.69103	9.51025	25.20128
14	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	70.88012	45.72862	116.60874
15	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, गढ़वा	104.60688	62.80238	167.40926
16	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	142.25941	100.24904	242.50845
17	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	26.69045	16.21534	42.90579
18	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची	74.03937	56.48150	130.52087
	सकल योग	2086.12147	1876.41863	3962.54010


 अणुप्र प्रधान, मुख्य वन संरक्षक,
 कैम्पा, झारखण्ड, राँची।
 28/09

वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित राशि की विवरणी :-

अनुलग्नक - 2.

माँग सं० - 19 वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	19S24060410302010103	19S24060410302010323	Total
1	2	3	4	5	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	8
1	Bokaro	BKRFOR001	Arun Kumar Singh	D F O, Bokaro	₹1,31,84,808.00 (48239)	₹80,11,756.00 (48288)	₹2,11,96,564.00
2	Dhanbad	DHNFOR001	Sri Bimal Lakra	Divisional Forest Officer	₹6,72,622.00 (48241)	₹4,15,010.00 (48290)	₹10,87,632.00
3	Giridih	GRDFOR001	Prawesh Agrawal	Dfo Giridih East For.Div.	₹1,99,61,608.00 (48242)	₹1,23,20,522.00 (48291)	₹3,22,82,130.00
4	Giridih	GRDFOR003	Shaba Alam Ansari	D.F.O. Giridih West For. Div.	₹21,33,319.00 (48243)	₹24,19,740.00 (48292)	₹45,53,059.00
5	Ramgarh	HZBFOR001	Div. Forest Officer Ramgarh	Div. Forest Officer	₹79,53,241.00 (48244)	₹52,54,722.00 (48293)	₹1,32,07,963.00
6	Deoghar	DGRFORE88	Raj Kumar Sah	Dfo Deo.For.Div.Deo.	₹9,19,766.00 (48246)	₹5,62,780.00 (48294)	₹14,82,546.00
7	Godda	GDDFOR164	Patruni Rajendra Naidu	Dfo Godda Forest Division	₹44,02,903.00 (48247)	₹44,58,977.00 (48295)	₹88,61,880.00
8	Chatra	CTRFOR003	Surendra Prasad Suman	D.F.O. South Divn. Chatra	₹2,25,65,273.00 (48248)	₹1,35,43,379.00 (48296)	₹3,61,08,652.00
9	Hazaribagh	HZBFWL005	Ravindra Nath Mishra I.F.S.	D.F.O., Hazaribag West Div,Hzb	₹3,05,93,866.00 (48250)	₹6,48,14,274.00 (48297)	₹9,54,08,140.00
10	Koderma	KDMFORA01	Suraj Kumar Singh	D.F.O. Koderma	₹8,38,240.00 (48251)	₹5,52,562.00 (48298)	₹13,90,802.00
11	Singhbhum West	SGHFOR010	Satyam Kumar (I.F.S.)	Dfo.Chaibasa Forest Div.	₹63,51,132.00 (48252)	₹49,05,708.00 (48299)	₹1,12,56,840.00
12	Jamshedpur	JSRFOR051	Mamta Priyadarshi (I.F.S.)	D.F.O.Jamshedpur Prm.Jsr.	₹5,56,18,643.00 (48254)	₹4,12,83,720.00 (48301)	₹9,69,02,363.00
13	Singhbhum West	SGHFOR002	Sri. Abhishek Bhushan (I.F.S.)	D.F.O.Kolhan Forest Div.Cbsa	₹15,69,103.00 (48255)	₹9,51,025.00 (48304)	₹25,20,128.00
14	Saraikela	SKLFOR001	Aditya Narayan	D. F. O. Seraikella-Kharsawan	₹70,88,012.00 (48256)	₹45,72,862.00 (48306)	₹1,16,60,874.00
15	Singhbhum West	SGHFOR011	Chandramaouli Prasad Sinha	D.F.O.Saranda Forest Div.Jfs	₹1,04,60,688.00 (48257)	₹62,80,238.00 (48307)	₹1,67,40,926.00
16	Gumla	GMLFOR001	Srikant Ifs	D.F.O. Gumla	₹1,42,25,941.00 (48258)	₹1,00,24,904.00 (48308)	₹2,42,50,845.00
17	Khunti	RNCFORK01	Kuldeep Meena	D.F.O Khunti	₹26,69,045.00 (48259)	₹16,21,534.00 (48309)	₹42,90,579.00
18	Doranda	DRNFWL013	Ashok Kumar Dubey	Dfo. Ranchi Forest Division Ra	₹74,03,937.00 (48260)	₹56,48,150.00 (48310)	₹1,30,52,087.00

कुल आवंटित राशि :- ₹39,62,54,010.00 (mupkyhl djksM ckIB yk[k pkSiu gtkj nl) रूपये मात्र।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए

Sanjeev Kumar
(SANJEEV KUMAR)
28/9/2021
ADDI.PCCF.CAMPA JHARKHAND RANC
Additional Principal Chief
Conservator of Forest
CAMPA, Jharkhand, Ranchi
28/09



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

अनुलग्नक - 3

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 19M02CAMP-2021/388

दिनांक - 28-Sep-2021

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060410302010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	48239	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 03 - मजदूरी	13,184,808.00 रुपये एक करोड़ इकतीस लाख चौरासी हजार आठ सौ आठ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060410302010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	48241	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	672,622.00 रुपये छः लाख बहत्तर हजार छः सौ बाइस
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
3	S 19 24060410302010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	48242	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 03 - मजदूरी	19,961,608.00 रुपये एक करोड़ निम्नानवे लाख इकसठ हजार छः सौ आठ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये तीन करोड़ अड़तीस लाख उन्नीस हजार अड़तीस

33,819,038.00

क्रमिक योग:

Sanjeev Kumar
(SANJEEV KUMAR)
Additional Principal Officer
Conservator of Forest
CAMP, Jharkhand, Ranchi

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060410302010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	48243	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 03 - मजदूरी	2,133,319.00 रुपये इक्कीस लाख तैतीस हजार तीन सौ तन्नीस
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060410302010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	48244	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE 03 - मजदूरी	7,953,241.00 रुपये उन्नासी लाख तीरपन हजार दो सौ इकतालीस
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060410302010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	48246	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 03 - मजदूरी	919,766.00 रुपये नौ लाख उन्नीस हजार सात सौ पचास
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये चार करोड अडतालीस लाख पच्चीस हजार तीन सौ चौसठ 11,006,326.00

क्रमिक योग: 44,825,364.00

Sanjeev Kumar
(SANJEEV KUMAR) 28/9/2021
ADDITIONAL PRINCIPAL CHIEF
RANCHI
Conservator of Forest
CAMP, Jharkhand. Ranchi

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060410302010103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	48247	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION 03 - मजदूरी	4,402,903.00 रुपये चवालीस लाख दो हजार नौ सौ तीन
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
8	S 19 24060410302010103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	48248	CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 03 - मजदूरी	22,565,273.00 रुपये दो करोड पच्चीस लाख पैंसठ हजार दो सौ तीस
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
9	S 19 24060410302010103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	48250	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB 03 - मजदूरी	30,593,866.00 रुपये तीन करोड पाँच लाख तिरनावे हजार आठ सौ साठ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

क्रमिक योग:

रुपये दस करोड तेइस लाख सित्यासी हजार चार सौ छ:

57,562,042.00

102,387,406.00

Sanjeev Kumar
(SANJEEV KUMAR)
Additional Principal Chief
Conservator of Forest
CAMPA, Jharkhand, Ranchi

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060410302010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	48251	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 03 - मजदूरी	838,240.00 रुपये आठ लाख अड़तीस हजार दो सौ चालीस
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
11	S 19 24060410302010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	48252	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV. 03 - मजदूरी	6,351,132.00 रुपये तीरसठ लाख इकावन हजार एक सौ बत्तीस
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
12	S 19 24060410302010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	48254	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 03 - मजदूरी	55,618,643.00 रुपये पाँच करोड छप्पन लाख अठारह हजार छः सौ तीरयालीस
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये सोलह करोड इकावन लाख पिनचानवे हजार चार सौ इक्कीस

62,808,015.00

क्रमिक योग.

165,195,421.00

Sanjeev Kumar
(SANJEEV KUMAR)
28/9/2021
Additional Principal Chief
Conservator of Forest
CAMPA, Jharkhand, Ranchi

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060410302010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	48255	SGHFOR002 SRI. ABHISHEK BHUSHAN (I.F.S.) D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA 03 - मजदूरी	1,569,103.00 रुपये पंद्रह लाख उनहत्तर हजार एक सौ तीन
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
14	S 19 24060410302010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	48256	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN 03 - मजदूरी	7,088,012.00 रुपये सत्तर लाख अठ्यासी हजार बारह
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
15	S 19 24060410302010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	48257	SGHFOR011 CHANDRAMAOULI PRASAD SINHA D.F.O.SARANDA FOREST DIV.JFS 03 - मजदूरी	10,460,688.00 रुपये एक करोड चार लाख साठ हजार छः सौ अठ्यासी
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: 19,117,803.00
 क्रमिक योग: रुपये अठारह करोड तीरयालीस लाख तेरह हजार दो सौ चौइस
 184,313,224.00

Sanjeev Kumar
 (SANJEEV KUMAR)
 ADDL JCCE CAMPA, JHARKHAND
 Additional Principal Chief
 Conservator of Forest
 CAMPA, Jharkhand, Ranchi

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060410302010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	48258	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 03 - मजदूरी	14,225,941.00 रुपये एक करोड बयालीस लाख एकसौ हजार नौ सौ इकतालीस
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
17	S 19 24060410302010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	48259	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 03 - मजदूरी	2,669,045.00 रुपये छब्बीस लाख उनहत्तर हजार पैंतालीस
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
18	S 19 24060410302010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	48260	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA 03 - मजदूरी	7,403,937.00 रुपये चौहत्तर लाख तीन हजार नौ सौ सैंतीस
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: 24,298,923.00

क्रमिक योग: रुपये बीस करोड छियासी लाख बारह हजार एक सौ सैंतालीस 208,612,147.00

Sanjeev Kumar
(SANJEEV KUMAR)
28/9/2021
Additional Principal Chief
Conservator of Forest
CAMP, Jharkhand, Ranchi

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	48288	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	8,011,756.00 रुपये अस्सी लाख ग्यारह हजार सत्त सौ रुपये
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
20	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	48290	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	415,010.00 रुपये चार लाख पंद्रह हजार दस
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
21	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	48291	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	12,320,522.00 रुपये एक करोड तेइस लाख बीस हजार पाँच सौ बाइस
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये बाइस करोड तिरनावे लाख उनसठ हजार चार सौ पैतीस

20,747,288.00

क्रमिक योग:

229,359,435.00

Sanjeev Kumar
SANJEEV KUMAR
28/9/2021
Additional Principal Chief
Conservator of Forest
CAMP, Jharkhand, Ranchi

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	48292	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	2,419,740.00 रुपये चौइस लाख उन्नीस हजार सात सौ छान्नीस
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
23	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	48293	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	5,254,722.00 रुपये बावन लाख चौपन हजार सात सौ बाइस
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
24	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	48294	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	562,780.00 रुपये पाँच लाख बासठ हजार सात सौ अस्सी
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

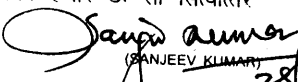
योग:

क्रमिक योग:

रुपये तेइस करोड पचहत्तर लाख छयानवे हजार छः सौ सित्योत्तर

8,237,242.00

237,596,677.00


 (SANJEEV KUMAR)
 ADDITIONAL PRINCIPAL CHIEF
 Conservator of Forest
 CAMPA, Jharkhand, Ranchi

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	48295	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	4,458,977.00 रुपये चवालीस लाख अठारवन हजार तीन सौ सित्योत्तर
26	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	48296	CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	13,543,379.00 रुपये एक करोड पैतीस लाख तीरयालीस हजार तीन सौ उन्नासी
27	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	48297	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	64,814,274.00 रुपये छः करोड अडतालीस लाख चौदह हजार दो सौ चौहत्तर

योग:

क्रमिक योग:

रुपये बत्तीस करोड चार लाख तेरह हजार तीन सौ सात

82,816,630.00

320,413,307.00

Sanjeev Kumar
(SANJEEV KUMAR)
Additional Principal Chief
Conservator of Forest
CAMP, Jharkhand, Ranchi

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	48298	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	552,562.00 रुपये पाँच लाख बावन हजार पाँच सौ बासठ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
29	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	48299	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	4,905,708.00 रुपये उनचास लाख पाँच हजार सात सौ आठ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
30	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	48301	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	41,283,720.00 रुपये चार करोड बारह लाख तिरयासी हजार सात सौ बीस
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

क्रमिक योग:

रुपये छत्तीस करोड इकहत्तर लाख पचपन हजार दो सौ सित्तानवे

46,741,990.00

367,155,297.00

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	48304	SGHFOR002 SRI. ABHISHEK BHUSHAN (I.F.S.) D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	951,025.00 रुपये नौ लाख इकावन हजार पच्चीस
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
32	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	48306	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	4,572,862.00 रुपये पैतालीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ बासठ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
33	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	48307	SGHFOR011 CHANDRAMAOULI PRASAD SINHA D.F.O.SARANDA FOREST DIV.JFS 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	6,280,238.00 रुपये बासठ लाख अस्सी हजार दो सौ अठ्तीस
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

क्रमिक योग:

रुपये सैतीस करोड नवासी लाख उनसठ हजार चार सौ बाइस

11,804,125.00

378,959,422.00

(Signature)
(SANJEEV-KUMAR) 28/9/2021
Additional Principal Chief
Conservator of Forest
CAMP, Jharkhand, Ranchi

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
34	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	48308	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	10,024,904.00 रुपये एक करोड चौइस हजार नौ सौ चार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
35	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	48309	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,621,534.00 रुपये सोलह लाख इक्कीस हजार पाँच सौ चौतीस
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
36	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	48310	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	5,648,150.00 रुपये छप्पन लाख अडतालीस हजार एक सौ पचास
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: 17,294,588.00

क्रमिक योग: 396,254,010.00